रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 382] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 1981/श्रावण 27, 1903
No. 382] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 1981/SRAVANA 27, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1981

का. आ. 655 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 98 (अ)/उ. वि. वि. अ./73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 को निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1) अनुसूची 4 में, विद्यमान प्रविष्टि सं. 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"8. इस्पात के सेमिल, छड़ें, तार-छड़ें और संरचनात्मक खण्डों के तप्त वेल्लन" ।

(2) अनुसूची 5 में,—

(1) विद्यमान प्रविष्टि सं. 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"7. इस्पात के सभी प्रकारों की शीत और ताप बेल्लित पट्टियां, चादरें और प्लेटें, जिनके अन्तर्गत ब्राक्स स्ट्रीपिंग भी है" ;

(2) विद्यमान प्रविष्टि सं. 20 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

21. प्लाई बुक, खज्जक शल्कल, ब्लाक बोर्ड और क्लश के दरवाजे ।

22. शुगर ।

23. पारेषण लाइन टावर" ।

2. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 29-ख की उप-धारा (2) के अनुसरण में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके अवसान के पश्चात् ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम का, जिस उक्त अधिनियम की धारा 10, 11, 11-क और 13 के प्रवर्तन से पहले छूट प्राप्त थी, और जिसे इस अधिसूचना के आधार पर इस प्रकार छूट प्राप्त नहीं है, कोई स्वामी, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार और राज्य सरकार की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार, ऐसे उपक्रम का कारबार चलाएगा, अन्यथा नहीं ।

[फा. सं. 10/27/81-एल. पी.]
एस. एल. कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 1981

S.O. 655(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)|IDRA|73|1, dated the 16th February, 1973, namely :—

(1) In Schedule IV, after the existing entry No. 7 the following entry shall be added, namely :—

"8. Hot-rolling of semis, bars, wire-rods and structural sections of steel".

(2) In Schedule V,—

(i) for the existing entry No. 7, the following entry shall be substituted, namely ,—

"7. Cold and hot rolled strips, sheets and plates of all categories of steel including box-strappings";

(ii) after the existing entry No. 20, the following entries shall be added :—

"21. Plywood, Decorative Vencers, Block Boards and Flush Doors.

22. Sugar.

23. Transmission Line Towers."

2. In pursuance of sub-section (2) of Section 29B of the said Act, the Central Government hereby specifies a period of six months from the date of publication of this Notification as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking which was exempted from the operation of Sections 10, 11, 11A and 13 of the said Act and which is not so exempt by virtue of this notification shall carry on the business of such undertaking except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government and in the case of State Governments except under and in accordance with the previous permission of the Central Government.

[F. No. 10|27|81-LP]
S. L. KAPUR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981